



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 31, 2019/कार्तिक 9, 1941

No. 640]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2019/KARTIKA 9, 1941

गृह मंत्रालय

(जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2019

सा.का.नि. 817(अ).—राष्ट्रपति की निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है :—

उद्घोषणा

संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राम नाथ कोविन्द, भारत का राष्ट्रपति, जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में तारीख 19 दिसंबर, 2018 को उक्त अनुच्छेद के अधीन मेरे द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को वापस लेता हूँ।

राम नाथ कोविन्द

राष्ट्रपति

नई दिल्ली

31 अक्टूबर, 2019।

[फा. सं. 11014/05/2014-के-I]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Jammu and Kashmir Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2019

G.S.R. 817(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:—

PROCLAMATION

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 356 of the Constitution, I, Ram Nath Kovind, President of India, hereby revoke the proclamation issued by me under the said article on the 19th December, 2018 in relation to the State of Jammu and Kashmir.

New Delhi
31st October, 2019.

RAM NATH KOVIND
President

—————
[F. No. 11014/05/2014-K.I]
AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.